



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक २९(४)]

मंगळवार, जुलै ७, २०२६/आषाढ १६, शके १९४८

[पृष्ठ ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ७ जुलाई, २०२६ ई.को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. LVI OF 2026.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ५६ सन् २०२६।

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९५८ का ६०। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र स्टाम्प (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

सन् १९५८ का ६०। २. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-एक में, —

सन् १९५८ का ६० की अनुसूची एक में संशोधन।

(एक) अनुच्छेद ३४ के पश्चात्, निम्न अनुच्छेद निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

३४क. गारंटी—

(क) वित्तीय या बँक गारंटी, —

- | | |
|---|--|
| (एक) यदि ऐसे विलेख द्वारा सुरक्षित गारंटी राशि पाँच लाख रुपये से अधिक नहीं है ; | ऐसे विलेख द्वारा सुरक्षित राशि का ०.१ प्रतिशत, जो न्यूनतम पाँच सौ रूपए के अधीन होगा; |
| (दो) किसी अन्य मामले में, | ऐसे विलेख द्वारा सुरक्षित राशि का ०.३ प्रतिशत, जो अधिकतम बीस लाख रूपए के अधीन होगा ; |
| (तीन) जहाँ गारंटी सरकारी निगम, स्थानीय प्राधिकरण, या सांविधानिक निकाय के पक्ष में सार्वजनिक कार्यों या सार्वजनिक खरीद के संबंध में जारी की जाती है, | पाँच सौ रूपए। |
| (चार) गारंटीकृत राशि में वृद्धि के बिना मौजूदा वित्तीय या बँक गारंटी का नवीनीकरण या विस्तार, | ऐसे विलेख द्वारा सुरक्षित राशि का ०.२५ प्रतिशत, जो अधिकतम पच्चीस हजार रूपए के अधीन होगा। |

(ख) गारंटी पत्र (खण्ड (क) में उल्लिखित लिखतों को छोड़कर) पाँच सौ रूपए।”;

(दो) अनुच्छेद ३७ के स्तंभ (१) के, “गारंटी पत्र”, “देखिए करार (अनुच्छेद ५)” शब्द अपमार्जित किए जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, १९५८ की धारा ३ यह उपबंध करती है कि, उससे संलग्न अनुसूची - एक में विनिर्दिष्ट लिखतें उक्त अनुसूची में दर्शाई गई राशि के अनुसार स्टाम्प शुल्क से प्रभारित होंगी।

२. बैंक गारंटी तथा वित्तीय गारंटी की लिखतों का व्यापक रूप से वाणिज्यिक संव्यवहार, मुलभूत संरचना परियोजनाओं, शासकीय संविदाओं, क्रय-प्रक्रियाओं तथा वित्तीय गतिविधियों में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में, ऐसी गारंटी की लिखतों को उक्त अनुसूची में स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करने के लिए अलग श्रेणी के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। ऐसी लिखतों पर वर्तमान में उक्त अनुसूची एक के अनुच्छेद ५४ के अधीन, जो प्रतिभूति बंधपत्र से संबंधित है, विनिर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाता है।

गारंटी प्रथम लिखत के लिए देय स्टाम्प शुल्क की समान राशि, उसके नवीनीकरण या अवधि - विस्तार के मामलों में भी प्रभारित की जाती है। इसके परिणामस्वरूप, गारंटी की राशि अपरिवर्तित रहती है, तथापि, गारंटी की लिखत के नवीनीकरण या अवधि-विस्तार की स्थिति में संबंधित पक्षों पर बार-बार स्टाम्प शुल्क का भार पड़ता है।

३. वाणिज्यिक और वित्तीय गतिविधियों में वित्तीय तथा बैंक गारंटी की लिखतों के बढ़ते उपयोग और महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यह आवश्यक समझा है कि, वित्तीय गारंटी अथवा बैंक गारंटी के संबंध में स्टाम्प शुल्क प्रभारित करने हेतु अलग अनुच्छेद का उपबंध किया जाए तथा ऐसी लिखतों की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्टाम्प शुल्क की अलग-अलग दरें निर्धारित की जाएँ। इससे राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। यह भी प्रस्तावित है कि, प्रथम लिखत के अनुसार यदि गारंटी की राशि अपरिवर्तित रहती है, तो ऐसी लिखतों के नवीनीकरण या अवधि - विस्तार के मामलों में स्टाम्प शुल्क की कम राशि देय होगी। इसलिए, सरकार महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम से संलग्न अनुसूची- एक में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझाती है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित ६ जुलाई, २०२६।

चंद्रशेखर बावनकुळे,
राजस्व मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (सन् १९५८ का ६०) की संलग्न अनुसूची एक में एक नवीन अनुच्छेद ३४ क निविष्ट करने का प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य वित्तीय या बैंक गारंटी के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहीत करने की दृष्टि से उसमें विनिर्दिष्ट दरों पर स्टाम्प शुल्क लगाया जा सके।

यह विधेयक राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में उसकी अधिनियमिति होने पर राज्य की समेकित निधि से आवर्ती या अनावर्ती व्यय के संबंधी कोई उपबंध अर्न्तगृह्य नहीं है।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधिन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र स्टाम्प (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, २०२६ ई. पर पुरःस्थापना करने की अनुशंसा करते हैं।

विधान भवन :

मुंबई,

दिनांकित ७ जुलाई, २०२६।

जितेंद्र भोळे,

सचिव-१,

महाराष्ट्र विधानसभा।